भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4305

उत्तर देने की तारीख: 19.08.2025

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रति अपराध

4305. श्री के. गोपीनाथ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रति बढ़ते अपराधों के कारणों का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में अपराध' में अपराधों पर सांख्यिकीय डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के खिलाफ अपराध के तहत क्रमशः कुल 57,582 और 10,064 मामले दर्ज किए गए हैं। बढ़ती जागरूकता, व्यापक प्रचार और पुलिस कार्मिकों के क्षमता निर्माण के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों की बेहतर रिपोर्टिंग हुई है।

*****